

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082020-221255 CG-DL-E-20082020-221255

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] No. 410] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2020/श्रावण 29, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2020/SHRAVANA 29, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2020

सा.का.िन. 516(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा ।।क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि नीचे उल्लिखित रिपोर्टकर्ता इकाई ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लिक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन किया है और ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तथा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लिक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 11 की अपधारा (1) के अधीन स्थापित विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और विनियामक प्राधिकारी अर्थात् भारतीय प्रतिभूति और विनियमन से परामर्श करने के पश्चात् नीचे विनिर्दिष्ट रिपोर्टकर्ता इकाई को धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 11क के अधीन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का आधार अधिप्रमाणन सेवा कार्य संपन्न करने के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

"मैसर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड"।

[फा. सं. पी-12011/7/2019-ईएस सेल-डीओआर]

ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव (राजस्व)

3817 GI/2020 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2020

G.S.R. 516(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government on being satisfied that the reporting entities mentioned below complies with standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2016 (18 of 2016) and it is necessary and expedient to do so, and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and the regulatory authority, namely the Securities and Exchange Board of India, hereby notifies the reporting entities specified below to undertake Aadhaar authentication service of the Unique Identification Authority of India under section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002, namely:-

"M/s National Stock Exchange of India Limited."

[F. No. P-12011/7/2019-ES Cell-DOR]

RITVIK PANDEY, Jt. Secy. (Revenue)